संख्या-26/2016/आडिट-1-424/दस-2016-322(12)/11

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 07 दिसम्बर, 2016

विषय : प्रदेश में नव स्थापित मण्डलों एवं जनपदों में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0, के अन्तर्गत मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों की स्थापना तथा पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-210/अ-5/2016, दिनांक 28-01-2016 सपठित पत्रांक-228/अ-5/2016, दिनांक 16-09-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, प्रदेश में नव स्थापित 06 मण्डलों (मिर्जापुर, देवीपाटन, अलीगढ, चित्रकूट धाम, सहारनपुर और बस्ती) एवं 15 जनपदों (श्रावस्ती, बलरामपुर, हाथरस, कासगंज (कांशीराम नगर) चित्रकूट, शामली, कौशाम्बी, कन्नौज, औरैया, अमेठी, बागपत, हापुड, अमरोहा, सम्भल, चन्दौली) में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के अन्तर्गत प्रत्येक मण्डल में एक-एक मण्डलीय कार्यालय तथा प्रत्येक जनपद में एक-एक जनपदीय कार्यालय की स्थापना किये जाने तथा संलग्न तालिका-1 में उल्लिखित कुल 132 अस्थायी पदों को शासनादेश जारी होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28-02-2017 तक सृजित किये जाने तथा संलग्न तालिका-2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में रू0 11,18,36,000/-(रूपये ग्यारह करोड, अट्ठारह लाख, छत्तीस हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों की स्थापना हेतु क्रय किये जाने वाली सामाग्री स्टोर परचेज नियमों एवं समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों/निर्देशों तथा मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त क्रय की जायेगी।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त पद धारकों को वेतन के अतिरिक्त मँहगाई भत्ता, अन्य भत्ता आदि जो शासन द्वारा समय-समय पर देय होंगे, अनुमन्य होंगे।

5- उक्तानुसार सृजित किये जा रहे समस्त श्रेणी के पदों को उपलब्ध सेवा नियमावली के संगत उपलब्ध कैडर में वृद्धि के रूप में सम्मिलित माना जायेगा।

6- चतुर्थ श्रेणी (चपरासी/चौकीदार) के पदों का कार्य केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराया जायेगा।

7- उपर्युक्त स्वीकृति पर निहित व्यय हेतु आहरण वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष-2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-101-सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(मुकेश मित्तल)
सचिव।

संख्या-26/2016/आडिट-1-424(1)/दस-2016, तदद्दिनांक

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
5. वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
6. कोषाधिकारी, समस्त मण्डल/जनपद एवं जनपद लखनऊ ।
7. सहकारिता विभाग/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तालिका-1

शासनादेश संख्या-26/2016/आडिट-1-424/दस-2016-322(12)/11, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक।

(क)- 15 जनपदीय कार्यालयों (श्रावस्ती, बलरामपुर, हाथरस, कासगंज (कांशीराम नगर) चित्रकूट, शामली, कौशाम्बी, कन्नौज, औरैया, अमेठी, बागपत, हापुड, अमरोहा, सम्भल, चन्दौली) हेतु

क्रम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	-	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/-	शासनादेश संख्या-आडिट-2790/दस-2012-300(2)/12, दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 119 पद सृजित हैं।
2.	प्रधान सहायक	15	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4200/-	
3.	वरिष्ठ सहायक	15	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800/-	
4.	कनिष्ठ सहायक	15	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2000/-	
5.	वाहन चालक	15	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900/-	
6-	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/चौकीदार	30	आउट सोर्सिंग से	
		कुल पद- 90		

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तालिका-2

(ख)- 06 मण्डलीय कार्यालय (मिर्जापुर, देवीपाटन, अलीगढ, चित्रकूट धाम, सहारनपुर और बस्ती) हेतु

क्रम सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	-	वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600/-	शासनादेश संख्या-आडिट-2790/दस-2012-300(2)/12, दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के द्वारा उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के कुल 31 पद सृजित हैं जिसमें से प्रत्येक मण्डल हेतु उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के एक-एक पद निर्धारित हैं।
2.	प्रशासनिक अधिकारी	06	वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4600/-	
3.	वरिष्ठ सहायक	12	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2800/-	
4.	कनिष्ठ सहायक	06	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2000/-	
5.	वाहन चालक	06	वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900/-	
6-	चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/चौकीदार	12	इन पदों का कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से कराया जायेगा।	
		कुल पद- 42		

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तालिका-3

शासनादेश संख्या-26/206/आडिट-1-424/दस-2016-322(12)/11, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक।

क्र0 सं0	मानक मद	आवर्तक व्यय धनराशि (हजार रू0 में)	अनावर्तक व्यय धनराशि (हजार रू0 में)
1.	01- वेतन	29068	-
2.	03 मंहगाई भत्ता	32836	-
3.	04- यात्रा भत्ता	868	-
4.	06- अन्य भत्ते	3556	-
5.	08- कार्यालय व्यय	4084	-
6.	09- विद्युत व्यय	780	-
7.	11- लेखन सामाग्री एवं फार्मो की छपायी	1652	-
8.	12- कार्यालय फर्नीचर	1400	10500
9.	13- टेलीफोन	392	-
10.	14- मोटर गाडियों का क्रय	-	14700
11.	15- मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1500	-
12.	26- मशीन एवं साज सज्जा	-	10500
	योग-	**76136**	**35700**

(महायोग-रू0 11,18,36,000/- रूपये ग्यारह करोड़ अट्ठारह लाख छत्तीस हजार मात्र)

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।